बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (पटना) 02–40/2025– 1089 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 20/1/26

समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–904, दिनांक–03.06.2025 द्वारा **श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलछी, पटना** के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के साथ दूरभाष पर अभ्रदता से गाली–गलौज तथा दुर्व्यवहार किये जाने, श्रीमती पल्लवी देवी, प्रमुख प्रखंड, बेलछी, पटना द्वारा श्री मिश्रा के विरूद्ध समर्पित परिवाद पत्र में प्रतिवेदित शिकायतें यथा–कार्य के प्रति अनियमितता, लापरवाही, अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति उदासीनता एवं अपने पद का दुरूपयोग किये जाने जैसे शिकायतों के प्रथम दृष्टया सही पाये जाने, राजस्व कार्यो से संबधित बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आवंटित सरकारी आवास से लगभग 18 किलोमीटर दूर रहतें हुए मकान भत्ता का निकासी करने, रोकड़ बही पर हस्ताक्षर नहीं करने, अंचल कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों का पूर्व से चले आ रहे वेतन विपत्र पंजी को छोड़कर नई विपत्र पंजी संधारित कर अपने पास रखने एवं श्री दिलीप कुमार चौधरी, लिपिक, शहरी प्रबंधन ईकाई, कार्यालय, पटना तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, बेलछी के मनमाने ढंग से आयकर के रूप में माह नवम्बर, 2024 एवं दिसम्बर 2024 में मो0–20,000 प्रति माह वेतन की कटौती करने संबंधित आरोपों के लिये आरोप पत्र पुर्नगठित करते हुए विभागीय संकल्प सं0–904 (15) दिनांक–03.06.2025 के प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा निर्धारित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1029(15) दिनांक–24.06.2025 से स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री मिश्रा द्वारा दिनांक–24.09.2025 से अपना स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मिश्रा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री पियूष मिश्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर/श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलछी, पटना सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय— प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (पटना) 02—40/2025—1089(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—20/7/26

स्पीड—पोस्ट
ई—मेल

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर/श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलछी, पटना सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय— प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (पटना) 02—40/2025—1089(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—20/7/26

स्पीड—पोस्ट

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0— आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप (पटना) 02—40/2025—1089(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—20/7/26

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान),
विशेष सचिव।